

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फाइल नं० - 309/2024

अनवान :-

1. सतबीर पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनावाद जिला सिरसा।

बनाम्

वादी

1. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
2. प्रेम कुमार पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
3. गौरीशंकर पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
4. गोरा मीरा पत्नी नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
5. सन्तरो देवी पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
6. प्रियंका पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
7. रोहिताश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेहरवाला खुर्द त0 टिब्बी।
8. राणी देवी पुत्री नन्दराम पत्नी जगदीश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारावाली ढाणी त0 व जिला हनुमानगढ़।
9. केशरदेवी पुत्री नन्दराम पत्नी प्रहलाद कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुम्हारा वाली ढाणी त0 व जिला हनुमानगढ़।
10. सुन्दर पुत्री नन्दराम पत्नी गोकुलराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी कुम्हारा वाली ढाणी त0 व जिला हनुमानगढ़।
11. लिछमा देवी पुत्री नन्दराम पत्नी सुरजभान जाति कुम्हार निवासी गांधीनगर 22 आरडब्ल्यूडी हनुमानगढ़ त0 व जिला हनुमानगढ़।
12. राजपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मसीतावांली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. रोहिताश पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मसीतावांली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 654 आरडी के खाता सं० 133/134 की कुल 5.439 है. व चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 150/143 की कुल 1.518 है. में वादी को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं० 5 ता 7 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार उपरोक्त वाद भूमि चक 654 आरडी के खाता सं० 133/134 व चक 150/143 में से मुखराम का नाम कलमजन किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/3/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
जिला हनुमानगढ़